भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1892
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भेषज उद्योग का उन्नयन

1892. श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री नवसकनी के.:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में भेषज उद्योग सुदृढ़ीकरण (एसपीआई) योजना के प्राथमिक उद्देश्य और कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ख) एसपीआई योजना से लाभान्वित होने वाली भेषज कंपनियों, विशेषकर एमएसएमई का ब्यौरा और लाभार्थियों के चयन के मानदंड क्या हैं;
(ग) क्या एसपीआई योजना में भेषज अवसंरचना जैसी सामान्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए उपबंध शामिल हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या एसपीआई योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में भेषज पार्कों या क्लसटरों को सहायता प्रदान की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) भेषज इकाइयों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन में सहायता प्रदान करने के लिए एसपीआई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(च) एसपीआई योजना की प्रगति की निगरानी के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): एसपीआई योजना 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) है, जिसकी योजना अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक है।

एसपीआई योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

I. साझा सुविधाओं के विनिर्माण के लिए फार्मा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए विद्यमान बुनियादी ढांचा सुविधाओं को सशक्त करना ताकि गुणवत्ता में सुधार हो और क्लस्टर का सतत विकास सुनिश्चित हो सके;

II. प्रतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी प्रदान करके, नवीनतम विनियामक मानकों को पूरा करने के लिए फार्मा इकाइयों की उत्पादन सुविधाओं को उन्नत करना, जिससे वे संशोधित अनुसूची-एम और डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सक्षम हों।

III. फार्मा और चिकित्सा उपकरण उद्योग के समग्र विकास के लिए अध्ययन करके, डाटाबेस का विनिर्माण करके और उद्योग के अग्रणियों, शिक्षाविदों और नीति विनिर्माताओं को उनके ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए एक साथ लाकर औषध और चिकित्सा उपकरण उद्योग के बारे में ज्ञान और जागरूकता का संवर्धन करना।

इस योजना के 3 घटक/उप-योजनाएं हैं:

I. साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआईसीएफ)
II. संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूएएस)
III. औषध एवं चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)

तीनों उप-योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

I. साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआईसीएफ):
- क) परिव्यय: 178.40 करोड़ रुपये (जिसमें से 20.15 करोड़ रुपये पहले ही पुराने एपीआईसीएफ के तहत उपयोग किए जा चुके हैं)
- ख) परियोजनाओं की संख्या जिन्हें सहायता स्वीकृत की गई है : 7
- ग) स्वीकृत धनराशि: 121.46 करोड़ रुपये
- घ) वितरित धनराशि: 62.47 करोड़ रुपये

II. संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूएएस)
- क) परिव्यय: 300.10 करोड़ रुपये
- ख) स्वीकृत सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या: 62
- ग) स्वीकृत राशि: 59.55 करोड़ रुपये
- घ) वितरित राशि: शून्य

III. औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)
- क) परिव्यय: 21.50 करोड़ रुपये
- ख) स्वीकृत सहायता प्राप्त अध्ययनों की संख्या: 11
- ग) स्वीकृत राशि: 1.16 करोड़ रुपये
- घ) वितरित राशि: 0.88 करोड़ रुपये
- ङ) अंतिम रूप प्रदान की गई रिपोर्टों की संख्या: 5

(ख): आरपीटीयूएएस योजना के तहत जिन लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हुई है, उनके नाम **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

लाभार्थियों के चयन के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

i. विद्यमान फार्मा इकाइयां जिन्हें संशोधित अनुसूची-एम और डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानकों में उन्नत करने की आवश्यकता है।

ii. विद्यमान औषध विनिर्माण इकाइयां जिनका पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपये से कम है।

(ग): उप-योजना एपीआईसीएफ के तहत, विद्यमान औषध क्लस्टरों की क्षमता को सशक्त करने के लिए "साझी सुविधाओं" के रूप में वास्तविक परिसंपत्तियों का विनिर्माण करके उनके निरंतर विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

<u>योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन:</u> प्रोत्साहन की सीमा स्वीकृत परियोजना लागत का 70% या 20 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, एसएससी के अनुमोदन के अनुसार होगी। हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के मामले में, अनुदान सहायता प्रति क्लस्टर 20 करोड़ रुपये अथवा साझी अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) की परियोजना लागत का 90%, जो भी कम हो, होगी।

प्राथमिकता के क्रम में इस उप-योजना के अंतर्गत पात्र कार्यकलापों की उदाहरणात्मक सूची निम्नानुसार है:

i. अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएँ
ii. औषध उत्पादों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला
iii. अपशिष्ट उपचार संयंत्र
iv. लॉजिस्टिक केंद्र
v. प्रशिक्षण केंद्र

आरपीटीयूएएस उप-योजना के अंतर्गत, मौजूदा फार्मा इकाइयों को संशोधित अनुसूची एम/डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानकों के लिए तकनीकी क्षमताओं को उन्नत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

<u>योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन</u>: योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन की दर पात्र कार्यकलापों पर किए गए व्यय का 10% से 20% (फार्मा इकाई के वार्षिक कारोबार के आधार पर) है, जो अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक है। नीचे दी गई मदों पर किए गए व्यय को सब्सिडी के लिए माना जाएगा:

क. उपयोगिताएँ (एचवीएसी, पानी, भाप)
ख. स्वच्छ कक्ष सुविधा
ग. परीक्षण प्रयोगशाला, स्थिरता कक्ष
घ. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट/अपशिष्ट प्रबंधन
ङ. परामर्श/प्रमाणन व्यय
च. उत्पादन उपकरण
छ. तकनीकी समिति की सिफारिश के साथ कोई अन्य मद

(घ): एसपीआई योजना की एपीआई-सीएफ उप योजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2022-23 से अब तक 121.46 करोड़ रुपये की कुल अनुदान सहायता के साथ 07 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से योजना के अंतर्गत 62.47 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है।

(ङ): औषध उद्योग के सुदृढ़ीकरण (एसपीआई) की उप-योजना, संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूएएस) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक मानकों को पूरा करने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपये तक के औसत बिक्री कारोबार वाली मौजूदा फार्मा और एपीआई विनिर्माण इकाइयों की उत्पादन सुविधाओं को उन्नत करने के लिए इकाइयों को प्रोत्साहित करती है।

इस योजना का उद्देश्य मौजूदा फार्मा इकाइयों को संशोधित अनुसूची-एम और डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने में सुविधा प्रदान करना है।

आरपीटीयूएएस के अंतर्गत, मौजूदा फार्मा इकाइयों के लिए योजना दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध पात्र कार्यकलापों के अंतर्गत 10% से 20% तक प्रोत्साहन सहायता दिया जाना प्रस्तावित है जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये है। आरपीटीयूएएस के अंतर्गत पांच साल की योजना अवधि के लिए 300.10 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(च): इस योजना को एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और समय-समय पर विभाग द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। योजना की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी योजना संचालन समिति [सचिव (औषध) की अध्यक्षता में] द्वारा की जाती है, जो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश भी प्रदान करती है।

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की समीक्षा/प्रभावी निगरानी के लिए विभाग और पीएमए के अधिकारियों द्वारा भौतिक दौरे भी किए जा रहे हैं। विभाग और पीएमए के अधिकारियों द्वारा आवेदकों के साथ समय-समय पर बातचीत की जाती है।

<u>अनुलग्नक</u>

दिनांक 06.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1892 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

आरपीटीयूएएस उप-योजना के अन्तर्गत अनुमोदित आवेदक (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार)			
क्र.सं.	**आवेदक का नाम**	**धनराशि (लाख रुपए में)**	**एन्टिटी की प्रकृति (एमएसएमई/ गैर-एमएसएमई)**
1	दिनाकरा लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड	200	एमएसएमई
2	अनुजा हेल्थकेयर लिमिटेड	188.7	एमएसएमई
3	एथिक्स हेल्थ केयर (एचपी)	97.46	एमएसएमई
4	बेनेट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	112.8	एमएसएमई
5	मैक्सवेल फार्मा (एचपी)	102.46	एमएसएमई
6	सीई केम फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	120.75	एमएसएमई
7	एम सी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (एचपी)	82	एमएसएमई
8	पार्क फार्मास्यूटिकल्स (एचपी)	188.33	गैर-एमएसएमई
9	अलापति फार्मा	50.27	एमएसएमई
10	श्रीपथी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	105.84	एमएसएमई
11	बीडीआर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	168.62	गैर-एमएसएमई
12	संघर्ष लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड	177.98	एमएसएमई
13	डैनो वैक्सीन्स एंड बायोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	56.2	एमएसएमई
14	प्रो-फार्मा केयर प्राइवेट लिमिटेड	114.68	एमएसएमई
15	थ्री बी हेल्थकेयर लिमिटेड (एचपी)	109.4	एमएसएमई
16	नंदू केमिकल इंडस्ट्रीज	60.93	एमएसएमई
17	डेनिस केम लैब लिमिटेड	66.91	एमएसएमई
18	डेफोहिल्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	74.6	एमएसएमई
19	औरया हेल्थकेयर यूनिट-II	102.83	एमएसएमई
20	बकुल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	111.45	एमएसएमई
21	मेडोज फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (एचपी)	90.39	एमएसएमई
22	नेविल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	126.51	एमएसएमई
23	यूनिस्पीड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (एचपी)	55.7	एमएसएमई
24	फार्मा फोर्स लैब (एचपी)	200	एमएसएमई
25	वीरदेव इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	200	एमएसएमई
26	मैग्नम केमी ग्रैन प्राइवेट लिमिटेड	200	एमएसएमई
27	वेलाइट फार्मास्यूटिकल्स	35.56	एमएसएमई
28	सिरमौर रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड	167.21	एमएसएमई

29	सर्व फार्मास्यूटिकल्स	52.5	एमएसएमई
30	एल्टिस फिनकेम प्राइवेट लिमिटेड	162.15	एमएसएमई
31	मेडिफोर्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	22.76	एमएसएमई
32	केंट्रेक लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	76.68	एमएसएमई
33	सैनजाइम प्राइवेट लिमिटेड	69.53	एमएसएमई
34	साइटेक स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड	39.33	एमएसएमई
35	टैलेंट हेल्थकेयर	126.35	एमएसएमई
36	नेहा लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड	52.6	एमएसएमई
37	सिस्टाकेयर रेमेडीज	11.07	गैर-एमएसएमई
38	प्रोचेम फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	79.65	एमएसएमई
39	गोइश रेमेडीज लिमिटेड	107.56	एमएसएमई
40	सैमिर्रा इनोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड	115.88	एमएसएमई
41	एलेक्सी फार्मिसिया प्राइवेट लिमिटेड	65.39	एमएसएमई
42	टॉस्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	31.55	एमएसएमई
43	वल्कन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	191	एमएसएमई
44	वॉवकेयर प्रोडक्ट्स	11.39	गैर-एमएसएमई
45	सौरव केमिकल्स लिमिटेड	31.86	एमएसएमई
46	वासा फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड	50.26	एमएसएमई
47	अर्नव रिसर्च लैबोरेटरीज	67.95	एमएसएमई
48	मुरली कृष्णा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	57.77	एमएसएमई
49	बायोडियल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	105.3	एमएसएमई
50	जेनिथ ड्रग्स लिमिटेड	113.5	एमएसएमई
51	न्यूकेयर लैबोरेटरीज इंडिया	82.37	एमएसएमई
52	एक्वा फाइन इंजेक्टा प्राइवेट लिमिटेड	33.79	एमएसएमई
53	अद्रहिम फार्मास्यूटिकल्स एलएलपी	75.71	एमएसएमई
54	स्वाति केमिकल्स	145.24	एमएसएमई
55	बी. शारदा फार्मा पेलेट्स प्राइवेट लिमिटेड	45.04	एमएसएमई
56	एमिल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	200	एमएसएमई
57	ब्रिट लाइफसाइंस	128.4	एमएसएमई
58	श्रीकेम लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	24.2	एमएसएमई
59	प्रोटेक बायोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	85.97	एमएसएमई
60	शॉन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	97.4	एमएसएमई
61	ऑरनेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	3.94	एमएसएमई
62	मेंडीन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	23.52	एमएसएमई
	कुल	**5955.19**	